संख्या-106/2018/3747 ई-2/तेरह-2018-02/2018टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 दिसम्बर,2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी दुकानों का ऑनलाइन व्यवस्थापन/नवीनीकरण किये जाने के क्रम में आवेदकों से धनराशियां प्राप्त किये जाने हेतु बैंक में एक केन्द्रीयकृत विभागीय खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2923/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2018-19, दिनांक 12 नवम्बर, 2018 तथा पत्र संख्या-4415/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2018-19, दिनांक 22 नवम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन/नवीनीकरण किये जाने के दृष्टिगत आवेदकों से धनराशियां प्राप्त किये जाने हेतु पंजाब नेशनल बैंक में एक केन्द्रीयकृत विभागीय बचत खाता खोलने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव/अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्वहित में वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाली धनराशियों को जमा कराये जाने हेतु पंजाब नेशनल बैंक में एक केन्द्रीयकृत विभागीय बचत खाता उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), मुख्यालय तथा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय के पदनाम से खोले जाने और संचालन उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/ 2010, दिनांक 21 मार्च,2012, शासनादेश संख्या-10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/ 2010, दिनांक 29 मई,2015, शासनादेश संख्या-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23 सितम्बर,2015 व शासनादेश संख्या-3/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23 फरवरी,2016 में निहित प्राविधानों के आलोक में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहमति प्रदान की जाती हैः-

(1) उक्त खाता बचत खाता होगा।

(2) प्रस्तावित बैंक खाता उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), मुख्यालय तथा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय के पदनाम से खोला जाएगा और उसका संचालन उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) इस खाते में केवल वही धनराशि रखी जाएगी, जिस हेतु इसे खोला गया है। किसी अन्य कार्य हेतु इस खाते का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा।

(4) इस खाते से किसी प्रकार से धनराशि के आहरण की अनुमति नहीं होगी। केवल धनराशि को खाता संचालित करने वाले अधिकारियों के अनुरोध/निर्देश पर नियमानुसार राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्ष/जी0एस0टी0 के निर्धारित लेखा शीर्ष में हस्तान्तरित किए जाने की अनुमति होगी।

(5) प्रश्नगत खाता योजनावधि तक चालू रखा जाएगा। योजनावधि की समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार खाते को बन्द कर दिया जाएगा।

(6) खाते के संचालन एवं रख रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जाएगा।

(7) पंजाब नेशनल बैंक में जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ के नाम से चल रहा चालू खाता संख्या-4483002100004497 को प्रत्येक दशा में 10 दिसम्बर,2018 तक बन्द कर दिया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-252/दस-2018, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-106/2018/3747(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।